



भ्रष्टाचार - तिरोधी िथा रर श्व ि तिरोधी नीति # 302

प्रयोजन

यह भ्रष्टाचार-तिरोधी नीति ("नीति") U.S. तिदेशी भ्रष्ट विहार एक्ट ("FCPA") की आशयिकाओं के साथ िथा जहाँ हम कारोबार करि हैं, उन न्यायक्षेत्रों में ररश्वि-तिरोधी कानूनों के अनुर्पालन हेिु तिजाइन की गई है और तिश्चभर में कर्पनी कारोबार के संचालन में ररश्विखोरी िथा आतधकाररक भ्रष्टाचार से बचाि हेिु कर्पनी कमयचाररयों िथा कारोबारी सहयोतगयों के द्वारा अनुर्पालन ककए जाने िाले मानकों और प्रक्रियाओं को स्थातर्पि करने के तलए अंगीकृि की गई है।

व्यार्पकिा

यह नीति तमनरल टेक्नोलोतजज इंक िथा इसकी U.S. िथा अंरिराष्ट्रीय सहयोतगयों, संबद्धों, सहभातगयों, उद्यमों िथा अन्य कारोबारी सहयोगों, तजन्हें तमनरल टेक्नोलोतजज इंक द्वारा, प्रत्यक्ष या पर्रोक्ष ("कर्पनी" या "एमटीआई"), प्रभािी रूप से तनयंतत्रि ककया जािा है, पर् पूरे तिश्च में लागू होिी है। यह कर्पनी के सभी तनदेशकों, अतधकाररयों िथा कर्मययों पर् लागू होिी है।

नीति

ना कर्पनी ना ही कर्पनी की ओर से कायय कर रहा कोई िीसरा पर्क्ष ककसी "सरकारी अतधकारी" या ककसी अन्य व्यति या तनजी या िातितययक क्षेत्र समेि ककसी तनकाय को "ककसी मूल्यान िस्िु" का प्रस्िाि, िादा, अनुज्ञा या भुगिान नहीं करेगा, जहाँ इसका उद्देश्य प्राप्तकिया को अर्पनी तस्थति का दुरुर्पयोग करने के तलए प्रेररि करना अथिा एक अनुतचि "कारोबारी लाभ" प्राप्त करना है।

इस नीति के प्रयोजनों के तलए:

- "ककसी भी मूल्यान िस्िु" में: नकद, नकद समिल्य (जैसेतगप्ट कािय), उर्पहार, यात्रा, भोजन, मनोरंजन, िाहनों का उर्पयोग, तनिस या मूल्यान लाभ, जैसे तमत्रों िथा पर्ररजनों के तलए तशक्षा या तनयोजन के असर शातमल हैं, लेककन सीतमि नहीं। इस नीति के प्रयोजनों के तलए, "ककसी मूल्यान िस्िु" का कोई न्यूनिम मूल्य नहीं है। यहाँकि कक एक छोटा उर्पहार भी "मूल्यान िस्िु" है।
- "ररश्वि" ककसी भी "सरकारी अतधकारी" या तनजी या िातितययक क्षेत्रों में व्यतियों या तनकायों सतहि ककसी भी अन्य व्यति या तनकाय को एक पर्शकश, िादा, भुगिान हेिु अतधकृि करना या "ककसी भी मूल्यान िस्िु" का भुगिान करना है, जहाँ इसका उद्देश्य प्राप्तकिया को अर्पनी तस्थति का दुरुर्पयोग करने के तलए प्रेररि करना अथिा एक अनुतचि "कारोबारी लाभ" प्राप्त करना है।
- "कारोबारी लाभ" व्यार्पक रूप से पर्ररभातषि है। इसमें शातमल है, उदाहरि के द्वारा, कारोबार प्राप्त करना या बनाए रखना, प्राथतमक विहार प्राप्त करना या राजनीतिक या कारोबारी छूटों को हातसल करना।
- "सरकारी अतधकारी" ककसी भी चयतनि या तनयुि सरकारी अतधकारी; ककसी भी कमी या एक सरकारी कमी, एजेन्सी, सहायक या उद्यम, जो कक एक सरकारी कायय करिा है, के तलए या उसकी ओर से कायय

कर रहेककसी व्यक्ति; एक तनकाय जो पूर्णिया: या अंश: सरकार के स्तितमत्ति अथिा तनयंत्रि में है, के तलए या उसकी ओर से कायय कर रहेककसी व्यक्ति; ककसी राजनीतिक दल, अतधकारी, कमयचारी या एक राजनीतिक दल के तलए या उसकी ओर से कायय कर रहेककसी व्यक्ति या सायियजतनक कायायलय के तलए ककसी भी उम्मीदार; या एक सायियजतनक अंरिराष्ट्रीय संघटन के तलए या उसकी ओर से कायय कर रहेककसी व्यक्ति, को शातमल करने के तलए व्यापक रूप से पररभातषि है।

- “मध्ियिी” का अथय हैकोई भी िृिीय पक्ष, चाहेककसी भी उर्पातध का हो, जो कंर्पनी का प्रतितनतधत्ति करिा है; या उसकी ओर से तिििक से कायय करिा है; या कमीशंि सेल्स एजेंटों, तििरिकों, तिियि प्रतितनतधयों, सलाहकारों, प्रचारकों, पररिहन या लॉतजतस्तक उर्पलब्धिकायओं, कस्टम तक्लयररंग एजेंटों, ब्रोकरों िथा संयुि उद्यम भागीदारों, और कंर्पनी के द्वारा दी गई पॉरि ऑफ अटॉनी पर काययरि गैर-कंर्पनी िृिीय पक्ष समेि इसके साथ जुड़कर कायय करिा है।

सामान्य कदशा तनदेश िथा प्रकियाएँ

उर्पहार, मनोरंजन िथा अतितध-सत्कार

भ्रष्टाचार की अनेक कतधि गतितितधयाँ उर्पहार िथा मनोरंजन के पररप्रेक्ष्य में होिी हैं। जबकक उर्पहार िथा अतितध सत्कार (पररिहन, तनास, आहार िथा मनोरंजन सतहि) कई पररतस्थतियों में उतचि हो सकि हैं, यह अति महत्िपूर्ण है कक ऐसे उर्पहार िथा अतितध सत्कार उस पैमाने पर न ककए जाएँ कक यह एक कारोबारी सौदे या व्ियस्थार्पन में प्रिश करने का उत्प्रेरक बन जाएँ जो अन्यथा नहीं होिे। इसके अतिररि ककसी भी तस्थति मेंकोई उर्पहार या अतितध सत्कार की इस नीति के कोई अन्य प्रािधान कंर्पनी की उर्पहार िथा मनोरंजन नीति या कंर्पनी की कारोबारी नीतियों के उल्लंघन का कारक नहीं बन सकेंगे या न ही एमटीआई अथिा आर्पको ककसी शमयनाक तस्थति में लाने िालेहोंगे।

तिशेष तनयमों के कारि, जो कक लागू होिेहैं जब अभीष्ट प्राप्तिकाय एक सरकारी अतधकारी हो, ऐसे ककसी व्यक्ति को कोई उर्पहार या अतितध सत्कार उर्पलब्ध कराने से पहले कानून तिभाग के एक तजम्मेदार प्रतितनतध के द्वारा एक पूर्णिसमीक्षा िथा तलतखि अनुमति अिश्य प्राप्त की जानी चातहए।

लेखांकन; खािे िथा अतभलेख

कंर्पनी आंरिरक लेखांकन तनयंत्रि की एक प्रिली बनाए रखेगी और खािों िथा अतभलेखों को बनाएगी एि रखेगी जो कक, उतचि तिस्रिार से, पररसंप्रतियों केलेनदेन और प्रबंधन को सटीकिा एि शुद्धिा से दशायएगी। गलि, भ्रमकारी, िथा अपूर्णिय तििरिों को ऐसे अतभलेखों िथा अन्य दस्िािेजों में दजय करना प्रतितंतधि है। ककसी भी प्रयोजन के तलए ककसी अघोतषि या अनातभलेतखि फं ि या खािे को स्थातर्पि नहीं ककया जा सकिा है।

लेखांकन तनयंत्रि की एक प्रिली बनाई रखी जाएगी जो कक समुतचि सुतनतिििाएं प्रदान करेंगी कक (i) सौदे प्रबंधन अनुज्ञा के अनुरूप ककए गए हैं; (ii) सटीक तििीय तििरिों को िैयार करने की अनुमति देने िथा पररसंप्रतियों के उिरदातयत्ति को बनाए रखने के तलए सौदों को अतभलेतखि ककया जाएगा; (iii) पररसंप्रतियों िक पहँच की अनुमति प्रबंधन अनुज्ञा के अनुरूप ही दी जाएगी; िथा (iv) समुतचि लेखांकन कियाकलापों को ककया जाएगा।

कंपनी की ओर से तबना उर्पयुि समथयनकारी दस्िाििेजों या इस अतभप्राय या समझ से कक पूंय भुगान या उसके तहस्से को भुगान के समथयन में कदए दस्िाििेजों में दजय तितशष्ट प्रयोजन के अतिररि ककसी अन्य प्रयोजन से ककसी भुगान की अनुमति नहीं दी जाएगी या न ककया जाएगा।

धन आशोधन

धन आशोधन िह प्रकिया है तजसके द्वारा कोई आय के ँध स्रोि के अतस्ित्ि को तछर्पािा है और कफर उस आय को िैध प्रीि कराने हेिु आिर में रखा है। ँध से दूतषि प्रकिया का कंपनी के द्वारा प्रयोग संयुि रायय िथा अन्य देशों, जहाँ कं र्पनी कायय करिी है, में दातयत्ि उत्र्यन्न कर सका है। कर्मयों को तितध तिभाग से संपर्कय करना चातहए यकद िे संदेहात्मक र्पररतस्थतियों से अगि हों जो उन्हें यह तिश्वास करने के तलए प्रेररि करिी हों कक ककसी सौदे में गैरकानूनी गतितितध की प्रकिया में भुगान अथा प्रातप्त हो सकी है।

सुभीिा या “ग्रीस” भुगान

सुभीिा भुगान, तजन्हें “ग्रीस भुगान” के नाम से भी जाना जािा है, कस्टम तक्लयरेंस, अप्रासन िथा कायय आज्ञार्पत्रों िथा टेलीफोन ि यूटतलटी कनेक्शन सतहि रोज़मरायके कायों के प्रदशयन को िीव्र करने या सुतनतिि करने के तलए सरकारी अतधकाररयों को ककए गए छोटे भुगान (\$100 से कम) होिेहैं।

ककसी कंपनी कमी के द्वारा “सुभीिा भुगान” नहीं ककया जा सका और यह स्पष्ट रूप से तनतषद्ध है, जब िक कक: (1) यह एक तचककत्सीय या सुरक्षा आर्पािकाल के प्रत्योिर में सरकारी सेिाओं (जैसे पुतलस या अति संरक्षि या तचककत्सा तनकास) को प्राप्त करने के तलए अतनायय न हो या (2) व्यति उतचि रूप से तिश्वास न करि हो कक एक कं र्पनी कमी गंभीर खिरे के आसन्न जोतखम में है और अन्य कोई उर्पयुि तिकल्प उर्पलब्ध नहीं है।

ऐसे ककसी भुगान को कं र्पनी के खािोंं िथा अतभलेखों में सटीका से िथा पूरी िरह से अिश्य ररकॉिय ककया जाना चातहए और महातधििा को इसकी िुरंि सूचना दी जानी चातहए।

राजनीतिक, सामुदातयक िथा धमयदा दान योगदान

धमयदा दानों, तिद्यालयों, शैतक्षक फं िोंं िथा इफ्रास्रकचर र्पररयोजनाओं सतहि सामातजक र्पररयोजनाओं िथा फं िोंं के तलए मौकिक ँि अन्य योगदानों को सािधानीपूंयिक संभाला जाना चातहए क्यौंक िे भ्रष्ट भुगान के माध्यम हो सकि हैं। इस जोतखम को न्यूनिम करने के तलए, कंपनी को इस िरह केधमयदा दानों और र्पररयोजनाओं में आयोजि की गई एक उर्पयुि जांच की आिश्यकि है। ऐसे ककन्हीं योगदानों को कंपनी की नीतियों ँि प्रकिया का अिश्य अनुर्पालन करना चातहए िथा तितध तिभाग की पूंियनुमति की आिश्यकि है।

मधिर्यियों िथा सहभातगयों के साथ लेनदेन

1. समुतचि उद्यम

कंपनी की ओर से कायय कर रहा कोई भी कंपनी को भ्रष्टाचार िथा जुमायनों के जोतखम में ला सका है। इस जोतखम को कम करने के तलए कंपनी के तलए आिश्यक है कक उन मधिर्यियों की जाँच हो तजसके साथ कं र्पनी कारोबार करने का अतभप्राय रखिी है, जब ककन्हीं “भयसूचक तचहों” (नीचे िरिियि) या अन्य संदेहात्मक र्पररतस्थतियों के अतस्ित्ि में होने का तिश्वास हो। ऐसी र्पररतस्थतियों में, एक समझौिा या संबंध का प्रस्िाि

कर रहा कंपनी कमी सुतनति करेगा कक ऐसे ककसी समझौते या संबंध में प्रिश करने से पहले समुतचि उद्यम ककया गया है।

एक समुतचि उद्यम जाँच में संभाति मध्यियों या सहभातग्यों की प्रतिष्ठा, तिषेष्ज्ञा, अनुभि िथा तर्पछले प्रदशयन की समीक्षा; सरकारी कमयचारर्यों के साथ उनके संबंध, यकद कोई हो; तिद्यमान पररतस्थतियों में प्रस्िाति भुगान इंजामों की समुतचिा; और सौदे में प्रिश करनेके तलए कारोबारी प्रस्िाि शातमल होनेचातहए। कुछ पररतस्थतियों में, एक मध्यिी या सहभागी की प्रतिष्ठा, तिश्चसनीया िथा तिीय तस्थरा की पुतष्ट के तलए तनजी जासूसों को तनयुि करने की अतनायया हो सकी है। ऐसी ककसी जाँच को तितध तिभाग की पूिय-अनुमति के तबना नहीं ककया जाना चातहए।

यह कंपनी की नीति है कक मध्यियों को रखने के तलए सभी अनुबंधों की तितध तिभाग द्वारा पहले से अनुमति ली जानी चातहए। मानकों के अनुपालन को सुतनति करने के तलए आगे FCPA में कदए गए कुछ मानक प्रािधानों को और तजन्हें तितध तिभाग द्वारा तिकतसि ककया गया है, सभी समझौते में शातमल ककया जाना चातहए।

2. “भयानक तचन्ह” पररतस्थतिया

FCPA के अंगियि कंपनी को ना के िल अर्पने कमयचारर्यों की गतितितधयों, बतल्क कु छ पररतस्थतियों में इसके मध्यियों के कायों के तलए उिरदायी बनाया जा सका है। ककसी को उिरदायी बनाने के तलए पर्यायप्त ज्ञान इस रूप में पररभातषि है तजसमें यह तिश्वास शातमल है कक एक अनुतचि भुगान होना “महत्पूियरूप से तनति” है, या इसकी “बहि ययादा संभािना है”। कोई इस दातयत् से दूसरी िरफ देख कर बच नहीं सका है। यकद “भयानक तचन्ह” हैं, जो प्रश्न खड़े करि हैं, िो इसकी जाँच करने का कियव्य है। एक मध्यिी तस्थति में, तितशष्ट मामले जो भयानक तचन्हों का कारि बन सकिहैं, में तनम्रतलतखि शातमल हैं:

- लेनदेन में एक देश शातमल हैजो भ्रष्ट भुगान के तलए ज्ञाि ह;
- एक संदभय जाँच परक्ष की पृष्ठभूतम या प्रतिष्ठा में कमी का खुलासा करि ह;
- समुतचि उद्यम खुलासा करि है कक परक्ष एक खोल है या कुछ अन्य अपरिपररक संरचना ह;
- परक्ष स्रष्ट रूप से योग्य नहीं है या उन कायों को करने के तलए आश्यक अनुभि नहीं रखा है, तजसके तलए इसे तनयोतजि ककया गया है या बनाए रखा गया है;
- परक्ष की अनुशंसा एक सरकारी कमयचारी या ग्राहक, तिषेष्कर िह तजसे मुद्देके मामले में तििकाधीन अतधकार है, के द्वारा की गई है।
- परक्ष का एक अिृि व्यति या एक अिृि व्यति के संबंधी के साथ एक तनकट का व्यतिगि, पररिरररक या कारोबारी संबंध है या अिृि व्यतियों को तिशाल या बार-बार राजनीतिक योगदान करि है;;
- परक्ष सुझाि देिा है कक धन की एक तितशष्ट मात्रा की आश्यकि कारोबार को प्राप्त करने या एक तिषेष् सौदे को पूरा करने के तलए होगी;
- परक्ष असामान्य अनुबंध शिों या भुगान व्यिस्थाओं जैसेकक धन का नकद भुगान, अन्य देश की मुिा में भुगान या िीसरे देश में भुगान के तलए आग्रह करि है, जो अमेररकी िथा स्थानीय कानून के अंगियि धन आशोधन चचिाओं को जन्म देिा है;
- परक्ष कंपनी के साथ अनुबंधों में भ्रष्टाचार-तिरोधी िथा ररश्चि-तिरोधी प्रस्ुतियों, िारंरटयों िथा अनुबंधों और संबंतधि भाषा पर आर्पति करि ह;

- पक्ष ककसी लाभ प्राप्त करने िाले या अन्य अप्रत्यक्ष स्ितमयों सतहि अर्पने स्ितमत्ि का खुलासा करने से इनकार कर देिा है, या चाहिा है कक उसकी पंहचान, या यकद पक्ष एक कं पनी है िो कं पनी के मातलकों, प्रमुखों या कर्मययों की पंहचान जातहर न की जाए; या
- पक्ष का कमीशन या शुल्क उस भौगतलक क्षेत्र में इसी प्रकार की सेिा के तलए सामान्य दर से ययादा हो या कहीं और ऐसी ही सेिाओं के तलए कं पनी द्वारा भुगिान की गई दरों से अनुतचि रूप सेययादा हो।

ऊपर दी गई सूची परररपूिय नहीं है, और कं पनी कर्मययों को िीसरे पक्षों तजनके साथ कं पनी कारोबार करी हैया कारोबार करने का प्रस्िाि करी है, उससे संबंतधि ककन्हीं संदेहात्मक पररतस्थतियों के तलए अश्य सिकय रहना चातहए। यकद पृष्ठभूतम जाँच या – बाद में पक्ष के साथ कारोबारी संबंध – ककन्हीं भयानक तचन्हों का खुलासा करिहैं, िो ययादा गहरी जाँच की आश्यकिा हो सकी है। भयानक तचन्ह तितध तिभाग के ध्यान में िुरंि लाए जानेचातहए।

सरकारी अतधकाररयों का तनयोजन

सरकारी अतधकाररयों को (एक एजेंट, प्रचारक, सलाहकार आकद के रूप में) तनयोतजि करना अनुमि हो सकिा हैलेककन यह सािधानी से ककया जाना चातहए। इसी सािधानी का पालन अश्य ककया जाना चातहए जहाँ एक संभातिि कमयचारी या एजेंट एक संघटन से संबद्ध है तजसे एक सरकारी उर्पकरि माना जा सकिा है, तजसका एक सरकारी अतधकारी के साथ पररतचि संबंध हो या पंहले सरकारी सेिा मेंसंलि थी। इन संबंधों को अश्य ऐसे संरतचि ककया जाना चातहए कक िे FCPA िथा स्थानीय कानून की आश्यकिा को पूरा करें। ककसी ऐसे संबंध हेिु समझौिा िािाय तितध तिभाग की पूिय अनुमति के तबना नहीं की जानी चातहए।